FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मेहराराम बनाम खेमा एवं अन्य

केस्म मुकदमा रा० अपील 111/128 नं. 47 सन 2020

RLR Apl

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.3.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम मारवाड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/3/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18.3.2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एक-तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि सं[illegible] आई हुई है (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.12.18 20:19:32 IS
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों पर पुरानी मांदे एवं क..
बने हुए है जो वर्तमान में आंधियों की वजह से
बिखर गए है, जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों को खेत
की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो रहा है वर्षात
होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर
लेते है जिससे पक्षकारों के बीच तनाजा बना
रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी
भूमि की निशानदेही करवाना आवश्यक है इस
कारण प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार कर
निशानदेही आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी का निशानदेही आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर
से प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पक्की निशानदेही
मौके पर नियमानुसार कमीशनर शुल्क 500/-
जमा करवाकर करें पालना रिपोर्ट पेश होने पर
शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो
दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
6/3/2020
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:19:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 328

दिनांकः– 18/3/2020

प्रार्थीगण

1. मेहराराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी गुलजी का पाना तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेमाराम पुत्र भुराराम वगैरा निवासी गुलजी का पाना (अकदड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 47/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा गुलजी का पाना पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 604, 853 / 605, 872 / 618 रकबा क्रमशः 0.16, 31.09, 59.08 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 329–33

दिनांकः– 18/3/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मेहराराम
4. विप्रार्थीगण श्री खेमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

18.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:19:32 IST
Reason: SelfAttested